

# कार्यालय अधीक्षक सर्किल, शिवपुरी (म0प्र0)

//निविदा सूचना//  
वार्षिक ठेका वर्ष 2026-27 (द्वितीय आमंत्रण)  
खण्ड-03 (दवाईयों)

क्रं.	सामग्री का नाम	मात्रा	किस्म	प्रयोग की जाने वाली दवाईयों पर एम.आर.पी. से दी जाने वाली छूट का प्रतिशत	रिमार्क
01	ब्राण्डेड दवाईयों एवं उपचार सामग्री	वार्षिक लगभग रूपये 09,00,000/- एवं आवश्यकतानुसार	ब्राण्डेड दवाईयों	एम.आर.पी. से कितनी प्रतिशत कम दर पर प्रदाय की जावेगी का खुलासा किया जावे।	-
02	जैनेरिक दवाईयों	वार्षिक लगभग रूपये 18,00,000/- एवं आवश्यकतानुसार	जैनेरिक दवाईयों	एम.आर.पी. से कितनी प्रतिशत कम दर पर प्रदाय की जावेगी का खुलासा किया जावे।	-
03	मेडिकल उपकरण	वार्षिक लगभग रूपये 2,00,000/- एवं आवश्यकतानुसार	औसत किस्म	एम.आर.पी. से कितने प्रतिशत कम दर पर प्रदाय किया जावेगा का खुलासा किया जावे।	-
04	विविध प्रकार की चिकित्सीय जांचे	वार्षिक लगभग रूपये 1,00,000/- एवं आवश्यकतानुसार	-	स्थानीय/बाजार से कितने प्रतिशत कम दर पर प्रदाय किया जावेगा का खुलासा किया जावे।	शासकीय अस्पताल / संस्थान में सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर तथा चिकित्सक के परामर्श पर।

01. उपरोक्तानुसार सामग्रियों की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।  
02. दवाईयों की एकसपायरी डेट कम से कम एक वर्ष से अधिक हो स्वीकार की जावेगी। जेल से मांग पत्र अनुसार दवाईयों उसी दिन जेल पर प्रदाय करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी। यदि बंदी जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर या अन्य हायर सेन्टर / मेडीकल कॉलेज/जिला चिकित्सालय में भर्ती होता है तो उपचाररत बंदी की दवाईयों उपलब्ध कराने एवं जांचों का व्यय सफल निविदाकार द्वारा कराया जायेगा।

  
जेल अधीक्षक  
सर्किल जेल शिवपुरी  


:: निविदा की शर्तें ::

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खाद्यान्न, सब्जियां, दवाईयां, स्वच्छता/विद्युत सामग्री एवं अन्य सामग्री के क्रय की कार्यवाही मध्यप्रदेश जेल पूर्ति नियम, 1988 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत ई-टेंडरिंग के माध्यम से अर्थात् ऑनलाईन की जाएगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रु. 500 एवं 5 लाख से अधिक रु. 1000, प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0066-जेलें-800 अन्य प्राप्तिबां में करना होगा।
3. निविदाएं खंडवार पृथक-पृथक ऑनलाईन जमा की जाएंगी। निविदा में 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि खंडानुसार [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी। 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (earnest Money Deposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

क्रमांक	खण्ड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि
01	खाद्यान्न		
02	सब्जियां		
03	दवाईयां, चिकित्सा उपकरण, लैब सामग्री एवं चिकित्सीय जांच		
04	स्वच्छता/विद्युत सामग्री		
05	अन्य सामग्री		

4. वार्षिक ई-निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के माय अधिकतम 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैध रहेंगे।
5. खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देव नहीं होगा।
6. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो करों एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा विक्रयिता प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएंगी। तिथि परिवर्तन की सूचना [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में प्रकाशित कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाएगा।
8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/कारंट-3 /भोपाल, दिनांक 28.01.2016 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र-(अ) एवं (ब) में पृथक-पृथक 200-200 रुपये के नौन ज्युडिशियल स्टांप पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ पत्र की आवश्यक रूप से बनाये व इसको ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करें। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।

प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक-पृथक शपथ पत्र बनाया जाए।  
शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है :-

**शपथ पत्र-अ**

(कारागार अधिनियम-1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं..... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल..... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..... के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं हैं।

**हस्ताक्षर शपथकर्ता**

**शपथ पत्र-ब**

(जेल मुख्यालय का परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3 बंदी मृत्यु/2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)  
मैं..... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल..... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..... के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

**हस्ताक्षर शपथकर्ता**

9. तहसील या मंडी या खाद्यान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।
10. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर अपलोड कराए जाएंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किए जाएंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मांगकर जेल अधीक्षक तत्पक्ष करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में इसकी 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेंगे :-
  - I. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड;
  - II. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र
  - III. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (quarter) का जी.एस.टी. रिटर्न
  - IV. विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
  - V. शपथ पत्र "अ" एवं "ब"।
  - VI. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैध लायसेंस।

- VII. खाद्य वस्तुओं/दवाइयों के लिए खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रेशन अथवा वैध अनुज्ञापिका (लायसेंस)।
- VIII. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद का वैध लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैध लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।
- IX. दवाइयों की निविदा हेतु वैध ड्रग लायसेंस।
- X. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से संबंधित-पत्र।
- XI. वस्तुओं के ब्राण्ड से संबंधित-पत्र।
- XII. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का घोषणा-पत्र।
11. निविदा के साथ संलग्न किये गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाये जाते हैं, तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
12. निविदा में उल्लेखित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सामग्रियों के ब्राण्ड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्राण्ड के नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूने 500-500 ग्राम के पारदर्शी डब्बों में समान गुणवत्ता वाले दो-दो पैक में फर्म का नाम लिखकर, नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर, स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13. नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों पर हस्ताक्षर कर, सील बंद डिब्बे में रखे जायेंगे। निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुएं साफ सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाई जाएंगी, व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताबिक होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगी।
14. निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरंत वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाई की जाएगी।

- 15 सब्जियां साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुंचानी होंगी। निर्धारित समय तक सब्जियां प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन-व्यवस्था बनाये रखने के लिये खुले बाजार से क्रय की जाएगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा विलंब से भेजी गई सब्जियां वापस कर दी जाएंगी, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे। जेल बगीचे से सब्जियां उपलब्ध न होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएगी।
- 16 दवाईयां एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैध ड्रग लायसेंस अपलोड करना आवश्यक है। जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हो, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है। दवाईयां एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी। निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियों हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ति करनी होगी।
- 17 निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्धशासकीय/शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही, स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएगी।
- 18 जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो, उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टॉप (वाणिज्यिक कर) विभाग मध्य प्रदेश के निर्धारित स्टॉप शुल्क अनुसार नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति संबंधित जेल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- 19 संशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी। ठेके की शर्तों के क्रियान्वयन के लिये सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण-पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद/बैंकर्स चैक/ बैंक गारंटी/Irevocable के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।
- 20 निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L1) निविदा वापस लेते हुये करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गई 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि जब्त कर ली जाएगी और संबंधित खंड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।

- 21 सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियां समझौते के अनुसार किरतों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल के गेट पर करनी होंगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। इन्डेंट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
- 22 प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार करने के लिए अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिंटेड लेटर पेड पर मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID में से कोई एक भी अंकित किया है, तो उसे भी मान्य किया जावेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।
- 23 देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयकों के भुगतान में विलंब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
- 24 महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थायी रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।
- 25 निविदा तथा करारनामों के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

जेल अधीक्षक  
सर्किल जेल शिवपुरी

जेल अधीक्षक  
केन्द्रीय/जिला/सब जेल  
मध्यप्रदेश.

## कार्यालय अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी (म0प्र0)

Email ID - [jailshivpuri@gmail.com](mailto:jailshivpuri@gmail.com)


दूरभाष(गेट-07492,234102)(कार्यालय-07492,234153)

### ::वार्षिक ठेका वर्ष 2026-27 हेतु जारी सूचना::

निविदा वर्ष 2026-27 में भाग लेने वाले समस्त निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि निविदा में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के साथ-साथ निम्नानुसार दस्तावेज लगाया जाना सुनिश्चित करें, जो निम्नानुसार है:-

- (1) प्रत्येक शपथ पत्र रूपये 200/- के साथ-साथ नोटराइज स्टाम्प शुल्क रूपये 50/- का लगाया जाना।
- (2) FSSAI लाइसेंस में फूड कैटेगरी (खाद्य श्रेणी) का उल्लेख करते हुये सूची अपलोड किया जाना।

नोट:- अपलोड किये जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रति पूणतः स्वच्छ एवं स्पष्ट प्रदर्श होनी चाहिए।

  
जेल अधीक्षक  
सर्किल जेल शिवपुरी